

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-392/2023

थाना कांड संख्या -322 वर्ष-2018 थाना- साहपुर जिला-भोजपुर से उत्पन्न

=====

जनार्दन पांडे पुत्र स्वर्गीय जमुना पांडे निवासी गाँव-शिओपुर, थाना-शाहपुर, जिला-
भोजपुर

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मंदू पांडे पुत्र सुरेंद्र पांडे निवासी गांव-शिओपुर, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर
3. कल्लू पांडे पुत्र सुरेंद्र पांडे निवासी गांव-शिओपुर, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर
4. मुन्ना पांडे पुत्र सुरेंद्र पांडे निवासी गांव-शिओपुर, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर
5. सुरेंद्र पांडे पुत्र महेन्द्र पांडे निवासी गांव-शिओपुर, थाना-शाहपुर, जिला-भोजपुर

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री रवीन्द्र कुमार, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, अ.लो.अ.
उत्तरदाता संख्या 2 से 5 के लिए	:	श्री अमरेंद्र एनआर राय, अधिवक्ता श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता

=====

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

• भारतीय दंड संहिता की धारा 307/323/34

संदर्भित मामले:

• चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2007) 4 एससीसी 415 में रिपोर्ट किया गया

अपील- उस निरपराध फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें संबंधित ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307/323/34 के तहत आरोपों से उत्तरदाताओं को मुक्त कर दिया है।

निर्णय- अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दी गई गवाही में घटना के घटित होने के तरीके को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास और असंगतियां हैं। इसके अलावा, वह कथित हथियार जिससे गोलीबारी हुई थी, भी बरामद/पता नहीं किया गया। चूंकि जांच अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया, अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर जब्ती सूची और घटना स्थल की स्थिति प्रस्तुत नहीं की। इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर हैं कि अभियोजन पक्ष वर्तमान उत्तरदाताओं/आरोपियों के खिलाफ मामला बिना किसी संदेह के साबित करने में विफल रहा है। (पैरा 18)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 22)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख: 10-07-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 372 (प्रावधान) के तहत दायर की गई है, जिसमें शाहपुर थाना कांड संख्या 322/2018 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 171/2019 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- VII, भोजपुर, आरा द्वारा दिनांक 12.01.2023 को पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307/323/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को बरी कर दिया है।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है:-

2.1 दिनांक 10.10.2018 को गांव में राशन वितरण को लेकर बैठक हुई थी। विद्यालय में अधिकारी आये हुए थे। गांव के लिए दो डीलर, एक इटवा एवं दूसरा सिकरिया, राशन का उठाव करते हैं। इसको लेकर मंदू पांडे, कल्लू पांडे, मुन्ना पांडे, सुरेन्द्र पांडे ने सूचक के भाई जितेन्द्र पांडे पर इटवा के डीलर से राशन लेने का दबाव बनाया। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो अभियुक्तगण मंदू पांडे, कल्लू पांडे, मुन्ना पांडे अपने हाथों में लिये बन्दूक से फायरिंग करने लगे। मंदू पांडे ने गोली चलाई जो सूचक की भाभी/साली अर्चना देवी के सिर, हाथ एवं जांघ पर लगी। कल्लू पांडे ने गोली चलाई जो उसके भतीजे को लगी। मुन्ना पांडे ने गोली चलाई जो उसके भैंसे को लगी तथा उछलकर उसे लग गई।

3. एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 से 5/आरोपी के खिलाफ संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। चूंकि

मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट ने इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 171/2019 के रूप में पंजीकृत किया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री रविन्द्र कुमार, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अ.लो.अ. श्री सुजीत कुमार सिंह और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विद्वान वकील श्री अमरेन्द्र एनआर राय को सुना गया, जिनकी सहायता श्री अशोक कुमार ने की।

5. अपीलकर्ता/सूचनाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विवादित निर्णय और आदेश कानून के साथ-साथ तथ्यों के आधार पर भी गलत है। उन्होंने आगे कहा है कि विद्वत विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष के मामले को स्थापित करने और उत्तरवादीगण संख्या 2 से 5 के अपराध को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। घटना के स्थान, घटना के तरीके और घटना के समय और उत्तरवादीगण की संलिप्तता में कोई विरोधाभास नहीं है और इस तरह, उत्तरवादीगण को दोषमुक्त करना गलत और असंगत विचार पर आधारित है, न कि रिकॉर्ड पर रखी गई दलिल पर। विद्वत विचारण न्यायालय चश्मदीद गवाहों के तथ्यों को समझने में भी विफल रहा है, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से पूरी तरह होती है। न तो सूचनाकर्ता, न ही घायल, न ही डॉक्टर और न ही जांच अधिकारी की जांच की गई है और न ही विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा जांच न करने का कारण बताया गया है। यह भी कहा गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने घोर अवैधता की है क्योंकि यह मामले के रिकॉर्ड से परे चला गया है क्योंकि अपीलकर्ता के पास आरोपी व्यक्तियों को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के खिलाफ पारित किया गया विवादित निर्णय और बरी करने का आदेश, अन्यथा, कानून के साथ-साथ तथ्यों के आधार पर भी गलत है और इसे रद्द किया जाना जाना उचित है।

6. विद्वान अ.लो.अ. ने अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार कर लिया है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 (अभियुक्त) के विद्वान वकील ने अपील का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय और बरी करने के आदेश को दर्ज करते समय कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में बड़े विरोधाभास, असंगतताएं और विसंगतियां हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने मामले के समर्थन में केवल चार गवाहों से पूछताछ की है। इसने महत्वपूर्ण गवाहों यानी डॉक्टर और जांच अधिकारी की जांच नहीं करने का विकल्प चुना है। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि जांच एजेंसी ने खून से सने कपड़े या खून से सनी मिट्टी जब्त की थी या नहीं। चलाई गई गोलियों को एफएसएल को आवश्यक विश्लेषण के लिए भेजा गया था या नहीं। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष घटना का स्थान, लगी चोटें, चलाई गई गोलियों की संख्या और घटना के पीछे का उद्देश्य को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है। इस प्रकार, जब अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध साबित करने में विफल रहा है, तो विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। राज्य ने बरी किए जाने के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विवादित निर्णय और आदेश इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है और अपील को संक्षेप में खारिज किया जाना चाहिए।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का भी अवलोकन किया है।

9. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के प्रासंगिक अंश की सराहना करना चाहेंगे।

10. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 4 गवाहों का परीक्षण किया।

11. अ.सा.-1 दीपक पांडे ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना दिनांक 10.10.2018 को दोपहर 01:00 बजे की है। वह अपने दरवाजे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसने देखा कि मिंटू पांडे, कवि पांडे, मुन्ना पांडे, सुरेन्द्र पांडे तथा मनोज पांडे दरवाजे पर आये, अपने घर गये, बन्दूक लेकर वापस आये तथा फायरिंग करने लगे। मुन्ना पांडे ने गोली चलाई जो भैंस के सींग, कान तथा पीठ में लगी तथा उसके बाद जनार्दन पांडे के हाथ में जा लगी। भोला पांडे को कल्लू पांडे ने गोली मारी जो उसके सीने में लगी। अर्चना देवी को मिंटू पांडे ने कनपटी तथा जांघ में गोली मारी। मनोज पांडे द्वारा चलाई गई गोली उसके छत की रेलिंग में लगी। उन्होंने कहा है कि यह घटना राशन कार्ड के विवाद के कारण हुई। राशन कार्ड के सम्बन्ध में बैठक चल रही थी। मुन्ना पांडे, कल्लू पांडे, मनोज पांडे, मुन्ना पांडे और सुरेन्द्र पांडे वहां आये और उसके चाचा जितेन्द्र पांडे को सिकरिया डीलर से राशन लेने से मना किया तथा इटवा के डीलर बसुधर सिंह से राशन लेने को कहा जिसे उसके चाचा ने लेने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपीगण घर पर आये और फायरिंग करने लगे। उक्त घटना को प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है।

11.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि बैठक में राशन कार्ड का विवाद चल रहा था। बैठक में बिहिया के बीडीओ भी शामिल हुए थे। विवाद दोपहर 12:00 बजे हुआ। गांव के अन्य लोगों के बीच विवाद था कि राशन सिकरिया से लिया जाए या इटवा से। गांव के अन्य लोगों के बीच विवाद भी नहीं सुलझा। बैठक में उनके परिवार

की महिलाएं शामिल नहीं हुई थीं। बैठक से पहले से ही वे अपने दरवाजे पर पढ़ाई कर रहे थे। बताया गया है कि अर्चना देवी उनकी मां हैं जो उस समय छत पर गेहूं फैला रही थीं। आरोपियों ने उत्तर दिशा से 60-65 फीट की दूरी से फायरिंग शुरू की, जहां उनकी भैंस बंधी थी। कुछ लोगों ने छत की तरफ, कुछ ने भैंस की तरफ और कुछ लोगों ने भोला पांडे की तरफ फायरिंग की। इसके बाद वे चले गए। आरोपियों का घर उनके दरवाजे से 150 फीट उत्तर की दूरी पर है। यह भी कहा गया है कि केवल भोला पांडे ही गिरे और खून वहीं फैल गया।

12. अ.सा.-2 रजनी कान्त पांडे उर्फ बिट्टू पांडे ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक 10.10.2018 को समय लगभग 01:00 से 02:00 बजे की है। उस समय वे बरामदे में बैठे थे। दक्षिण दिशा से मिन्दू पांडे, कल्लू पांडे, मुन्ना पांडे, सुरेन्द्र पांडे एवं मनोज पांडे गाली देते हुए आये तथा अपने घर चले गये तथा हथियार लेकर वापस आये। कृष्णकान्त पांडे उर्फ भोला पांडे को कल्लू पांडे ने सीने के दाहिने तरफ तथा पेट के बायें तरफ गोली मारी। उनकी माता अर्चना देवी जो गेहूं फैला रही थी, को दाहिनी कनपटी, जांघ, पसली तथा बांह में गोली मारी गयी। मुन्ना पांडे द्वारा चलाई गई गोली पहले उनके भैंस को लगी तथा उसके बाद जनार्दन पांडे के बायें बांह में लगी। मनोज पांडे की गोली से बरामदे का छज्जा गिर गया। सुरेन्द्र पांडे ने हवा में गोली चलाई तथा सभी को जान से मारने का आदेश दिया। यह कहा गया है कि गवाह को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। वह सभी आरोपियों को पहचानता है।

12.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि गोलीबारी के समय वह कृष्णकांत पांडे से 3-4 फीट की दूरी पर खाट पर लेटा हुआ था। कृष्णकांत को सबसे पहले गोली लगी। गोली लगने पर जनार्दन पांडे और कृष्णकांत पांडे नीचे गिर पड़े। बरामदे में खून

फैल गया। गोली चलाने वाले लोग घर के बाहर खड़े थे। यह भी बताया गया है कि अर्चना देवी छत पर गेहूं फैला रही थी, उसी जगह पर गिर गई और उसके चोट से खून भी बह गया।

13. अ.सा.-3 उर्मिला देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि घटना के समय वह अपने घर पर थी। मनोज पांडे, कल्लू पांडे, मिंटू पांडे, सुरेन्द्र पांडे उसके दरवाजे पर गाली देते हुए आये तथा अपने घर चले गये। पुनः हथियार लेकर आये तथा मनोज पांडे अपने हाथ में रिवाल्वर लिये हुए था। कल्लू पांडे ने भोला पांडे के सीने पर गोली मार दी तथा उसके सीने व पेट से खून निकलने लगा। उसके बाद मिंटू ने गोली चला दी जो अर्चना देवी को लगी। अर्चना देवी चिल्लाने लगी कि मिंटू पांडे ने उसे गोली मार दी है जो उसके सिर, पेट व जांघ में लगी। उसके बाद मनोज पांडे ने गोली चला दी जिससे घर का ईंट गिर गया। मुन्ना पांडे के गोली चलाने पर बाहर बंधी भैंस को गोली लग गयी। उसके बाद सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

13.1. जिरह में उसने बताया कि वह घायलों के साथ अस्पताल नहीं गई थी, बल्कि अपने घर पर ही रही थी। घटना के दिन शाम 07:00 बजे इंस्पेक्टर उसके घर आया था। उसने दीवार से गिरी ईंट इंस्पेक्टर को दिखाई। उसने वह जगह भी दिखाई, जहां से गोली चली थी। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि जब शोर मचा और लोग जमा होने लगे, तो आरोपी भाग गए। अर्चना देवी छत पर गिर गई और वहां खून की 2-4 बूंदें पड़ी थीं। उसने इंस्पेक्टर को बताया कि कल्लू पांडे ने भोला पांडे के सीने और पेट पर गोली चलाई थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि मिंटू पांडे की गोली से अर्चना देवी को चोट लगी थी। यह भी कहा गया है कि उस दिन उनकी तरफ से कोई गोली नहीं चली थी।

14. अ.सा.-4 कृष्णकांत पांडे उर्फ भोला पांडे ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक 10.10.2018 की है। डीलर द्वारा राशन उठाव के सम्बन्ध में बैठक हो रही थी, बैठक के कारण अधिकारीगण वहां आये हुए थे। मिंटू पांडे ने अपने चाचा जितेन्द्र पांडे का राशन कार्ड बसुधर सिंह को देने की बात कही, परन्तु उन्होंने नहीं दिया। इसके बाद सुरेन्द्र पांडे, मिंटू पांडे, कल्लू पांडे, मुन्ना पांडे एवं मनोज पांडे हथियार से लैस होकर आये। सुरेन्द्र पांडे ने उन्हें जान से मारने के लिए कहा तथा गोली चला दी, जो उन्हें लग गयी। जब मिंटू पांडे ने गोली चलायी, तो वह उनकी चाची अर्चना देवी को लग गयी। मुन्ना पांडे ने जब गोली चलाई तो भैंस और जनार्दन पांडे दोनों को लगी। मनोज पांडे ने जब राइफल से गोली चलाई तो घर के छज्जे पर लगी और छज्जा गिर गया। उसके बाद वे शाहपुर अस्पताल गए। वहां उनकी चाची और उनका इलाज हुआ और उसके बाद वे आरा सदर अस्पताल आए। शाहपुर अस्पताल में जनार्दन पांडे का इलाज हुआ। उनका बयान 13.10.2018 को सदर अस्पताल, आरा में लिया गया।

14.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि बैठक खत्म होने के एक घंटे बाद आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग उनके घर से 60-70 फीट की दूरी पर हुई। यह भी कहा है कि गोली लगने पर वे वहीं गिर पड़े। अर्चना देवी छत पर गिर गई। दरवाजे पर अनगिनत गोलियां चलाई गईं, जिनके खाली कारतूस नहीं दिखे। उन्होंने अर्चना देवी को गोली लगते नहीं देखा। उनके घर की छत के आसपास कोई रेलिंग नहीं है। जो बालकनी टूटी थी, वह बीच से टूटी हुई थी।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए

संपूर्ण साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन किया है तथा प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्यों का भी अध्ययन किया है।

16. अभिलेख से यह पता चलता है कि जनार्दन पांडे द्वारा दिए गए *फर्दबयान* के अनुसार, विचाराधीन घटना में सूचक की भाभी/साली अर्चना देवी के सिर, हाथ और जांघ में गोली लगी थी। साथ ही, उनके भतीजे कृष्णकांत पांडे (अ.सा.-4) को भी गोली लगी थी और सूचक के बाएं हाथ में भी चोट लगी थी। हालांकि, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने सूचक जनार्दन पांडे से पूछताछ नहीं की। साथ ही, घायल अर्चना देवी से अभियोजन पक्ष ने पूछताछ नहीं की। इससे यह भी पता चलता है कि सूचक द्वारा शाहपुर थानाध्यक्ष के समक्ष लिखित शिकायत/लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ नहीं की, जिसने घायल सूचक जनार्दन पांडे, अर्चना देवी और कृष्णकांत पांडे का इलाज किया था। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि जांच अधिकारी, जिसने जांच की थी, उनसे अभियोजन पक्ष ने पूछताछ नहीं की।

17. मुखबिर द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि घटना के अन्य चश्मदीद गवाहों यानी अ.सा.-1 दीपक पांडे, अ.सा.-2 रजनी कांत पांडे उर्फ बिट्टू पांडे और अ.सा.-3 उर्मिला देवी के संबंध में उक्त लिखित शिकायत में कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, अ.सा.-4 (घायल गवाह) का यह विशिष्ट मामला है कि उसने अपनी चाची अर्चना देवी के साथ शुरू में शाहपुर अस्पताल और उसके बाद सदर अस्पताल, आरा में इलाज कराया जबकि मुखबिर जनार्दन पांडे का इलाज शाहपुर अस्पताल में हुआ। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तथाकथित घायल गवाहों का इलाज करने वाले डॉक्टरों से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है।

18. अन्यथा भी, अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा घटना के तरीके के संबंध में दिए गए बयानों में बड़े विरोधाभास और विसंगतियां हैं। इसके अलावा, जिस कथित हथियार से गोलीबारी की गई थी, वह भी बरामद/खोजा नहीं गया। चूंकि जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई, इसलिए अभियोजन पक्ष ने जल्दी सूची और घटना स्थल पर स्थिति को रिकॉर्ड में नहीं लाया है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष वर्तमान उत्तरवादीगण/अभियुक्तों के खिलाफ उचित संदेह से परे मामला साबित करने में विफल रहा है।

19. हमने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तर्कों का भी अध्ययन किया है और हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय और बरी करने का आदेश पारित करते समय कोई गलती नहीं की है।

20. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जो (2007) 4 एससीसी 415 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें पैरा-42 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया है:-

“42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे सुविचारित विचार में, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं:

(1) अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति के प्रयोग पर तथा अपील न्यायालय द्वारा तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे कि, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। इस तरह की शब्दावली "भाषा का उत्कर्ष" की प्रकृति की होती है, जो सबूतों की समीक्षा करने और अपने निष्कर्ष पर पहुँचने की न्यायालय की शक्ति को कम करने के बजाय बरी किए जाने में हस्तक्षेप करने के लिए अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देती है।

(4) हालांकि, अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोष होने की धारणा उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए। दूसरे, अभियुक्त के बरी होने के बाद, उसकी निर्दोषता की धारणा को विचारण न्यायालय द्वारा और भी पुष्ट, पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को बाधित नहीं करना चाहिए।"

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते समय, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, की जांच की जाती है, तो हमारा विचार है कि वर्तमान अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

22. तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।